यू.ओ. नोट

विषयः— अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकर, लेखाकार, सहायक लेखाधिकारियों की सम्पति के सम्बन्ध में।

अधीनस्थ लेखा सेवा के कनिष्ठ लेखाकर, लेखाकार, सहायक लेखाधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवदेन में सम्पति की घोषणा के सम्बन्ध में विज्ञप्ति को कार्यालय की वेबसाईट पर जारी करने हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्नः— विज्ञप्ति

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक— I)

प्रोग्रामर कम एनालिस्ट
कार्यालय हाजा

यू.ओ. नोट क्रमांक :— एफ 10 / एसीआर / लेखा / 2013—14 / 602
दिनांक :— 26/9/13

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राज. जयपुर

क्रमांकः– एफ10 / एसीआर / क.ले. / लेखा. / सहा.लेखा. / 13–14 / दिनांकः–

विज्ञप्ति

प्रायः यह देखा जा रहा है कि अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारियों द्वारा अपने वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय स्थावर (स्थाई) सम्पति के विवरण की घोषणा की पूर्ति नही की जा रही या पूर्वानुसार लिख कर प्रेषित की जा रही है जो कि मान्य नही है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या–प.(9)(5) / 30 / कार्मिक / क–3 / जांच / 2004 दिनांक 23.01.2007 के अनुसार बिना स्थायी सम्पति सूचना के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन स्वीकृत नही किये जा सकते है।

अतः समस्त कनिष्ठ लेखाकार, लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय अपनी स्थावर (स्थाई) सम्पति की घोषणा वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रपत्र में आवश्यक रूप से करें, जिससे गोपनीय प्रतिवेदन यथा समय स्वीकार किये जा सके। स्थायी सम्पति की सूचना के अभाव में गोपनीय प्रतिवेदन स्वीकार नही होने की स्थिति में कार्मिक स्वयं जिम्मेवार होगें।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक